

प्रेस नोट दिनांक 29.09.21
थाना बारादरी जनपद बरेली ।

लूट की घटना का सफल अनावरण, चोरी की योजना बनाते समय अवैध अस्लाह बरामद व निशादेही पर लूट का माल व 10,000 रूपये नगद बरामद, 04 अभि० गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान साद मिया खान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा आज दिनांक 29.09.21 को थाना बारादरी के मु०अ०सं० 831/21 धारा 392 आईपीसी से संबंधित अभि०गण शहदाना रेलवे ग्राउण्ड से चोरी की योजना बनाते समय अभि० राशिद अली पुत्र इकरार अली नि० बिहारमान नंगला इज्जतनगर बरेली आदि 03 नफर को 02 अदद तमंचा 315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस व 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद 12 कारतूस सहित मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभि०गण ने थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 831/21 धारा 392 आईपीसी की घटना करना स्वीकार किया तथा अभि०गण की निशादेही पर लूटा हुआ माल व 10,000 रूपये नगद व अभि० शिवशंकर गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता नि० फर्रकपुर कस्बा व थाना फरीदपुर बरेली से बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 885/21 धारा 398,401 आईपीसी व मु०अ०सं० 886/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 887/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु०अ०सं० 888/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया व मु०अ०सं० 831/21 धारा 392 आईपीसी में 411 आईपीसी की बढोत्तरी की गयी। अभि०गण से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा/फरार अभियुक्तगण का नाम पता व आपराधिक इतिहास

1. राशिद अली पुत्र इकरार अली नि० बिहारमान नंगला इज्जतनगर बरेली
 - a. मु०अ०सं० 314/17 धारा 376डी,363,366,342 आईपीसी 06 पाक्सो अधि० थाना सुभाषनगर
 - b. मु०अ०सं० 831/21 धारा 392,411 आईपीसी थाना बारादरी बरेली
 - c. मु०अ०सं० 885/21 धारा 398,401 आईपीसी थाना बारादरी बरेली
 - d. मु०अ०सं० 886/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली
2. इशरत उर्फ बबलू पुत्र वली दाद खां निवासी म०नं० 116 बिहारमान नगला थाना इज्जतनगर
 - a. मु०अ०सं० 831/21 धारा 392,411 आईपीसी थाना बारादरी बरेली
 - b. मु०अ०सं० 885/21 धारा 398,401 आईपीसी थाना बारादरी बरेली
 - c. मु०अ०सं० 887/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली
3. अजय यादव पुत्र राजा राम यादव नि० बालाजी धाम कालौनी बदायूं रोड थाना सुभाषनगर बरेली
 - a. मु०अ०सं० 314/17 धारा 376डी,363,366,342 आईपीसी 06 पाक्सो अधि० थाना सुभाषनगर
 - b. मु०अ०सं० 831/21 धारा 392,411 बारादरी आईपीसी थाना बरेली
 - c. मु०अ०सं० 885/21 धारा 398,401 आईपीसी थाना बारादरी बरेली
 - d. मु०अ०सं० 888/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली

4. शिवशंकर गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता नि० फर्रकपुर कस्बा व थाना फरीदपुर बरेली
 - a. मु०अ०सं० 831/21 धारा 392,411 बारादरी आईपीसी थाना बरेली
5. शमशेर अली उर्फ शेर पुत्र मुन्नालाल नि० बिहारमान नंगला थाना इज्जतनगर बरेली (फरार)
 - a. मु०अ०सं० 831/21 धारा 392,411 बारादरी आईपीसी थाना बरेली

बरामदगी का विवरण:-

1. सोने का झूमर वजनी 08 ग्राम
2. सोने के बूंदें वजनी 2.5 ग्राम
3. 01 जोड़ी चांदी की पायल वजनी 19.4 ग्राम
4. 01 जोड़ी चांदी की पायल वजनी 23.35 ग्राम
5. 10,000 रूपये नगद
5. 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 02 कारतूस 315 बोर
6. 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर
7. 01 अदद तंमचा 12 बोर मय 02 कारतूस 12 बोर

अपराध करने की कार्य प्रणाली:- नामित अभि० इशरत उर्फ बल्लू उपरोक्त घटना से 04 माह पूर्व वादी मुकदमा श्री राशिद खान के पिता श्री शराफत उर्फ पप्पू की वैगनआर पर ड्राइवरी की नौकरी करता था। यह करीब 03 माह तक इनके यहां ड्राइवर रहा था इसे वादी की पारिवारिक स्थिति और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सीसीटीवी कैमरों का पूरा ध्यान था। इसने अपने पडोसी साथी राशिद, शेर अली व अजय यादव नामक अभि०गणों के साथ मिलकर योजना बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के 02 दिन पहले इसने अपने साथी राशिद के साथ आकर मौहल्ले में रैकी की और उसे गली में लगे कैमरों व भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। उक्त ड्राइवर बल्लू उर्फ अरशद द्वारा अपने साथियों को वादी मुकदमा के घर में काफी नगदी मिलने की संभावना बतायी थी। लूट के बाद घटना से लूटा गया जेवर इन अपराधियों द्वारा अपने एक परिचित साजिद नि० फरीदपुर के माध्यम से फरीदपुर के ज्वैलर्स शिवशंकर गुप्ता को बेचा गया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० नीरज कुमार थाना बारादरी बरेली
2. निरी० रामगोपाल शर्मा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बरेली
3. निरी० हिमाशु निगम एसओजी प्रभारी मय टीम जनपद बरेली
4. उ०नि० जावेद सर्विलांस टीम जनपद बरेली
2. उ०नि० अजय कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी श्यामगंज बारादरी बरेली
3. उ०नि० सुनील राठी
4. का० 1711 कपिल कुमार
5. का० 668 राहुल चौहान